Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY

IInd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513,

Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

ATTENTION : SC/ST/OBC/MINORITY STUDENTS OF CLASS I TO XII OF ALL GOVERNMENT/ AIDED/RECOGNIZED PUBLIC SCHOOLS AFFILIATED TO DIRECTORATE OF EDUCATION/KENDRIYA VIDYALAYA (IN DELHI ONLY) /NATIONAL OPEN SCHOOL/SCHOOL AFFILIATED TO NDMC/DELHI CANTONMENT BOARD, EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION, NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION AND SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION.

Free Supply of Stationary to SC/ST/OBC/Minorities Studying in Class I to XII (2014-15)

Closing Date :01.09.2014

ELIGIBILITY CRITERIA

1. Free Supply of Stationary to SC/ST/OBC/MIN. students studying in class I to VIII & Class IX to XII of Delhi Govt.School/recognized schools in Delhi.
2. The student should not have less than 70% attendance in previous academic year (Class II to XII)
3. Family income should not exceed 2,00,000/- p.a. (self certified income certificate) as per format given with the application form will be required.
4. The applicant belongs to the Minority communities should be resident of Delhi for the past three years and should submit proof thereof like EPIC card, Adhar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.
5. The applicant should submit attested copy of Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's name by SDM/Deputy Commissioner (Revenue), Govt. of NCT of Delhi, Domicile Certificate of Delhi if the caste (SC) certificate is not issued by the Competent Authority of Govt. of NCT of Delhi is required.
6. In case of minority student, declaration by parent/guardian in the form of an affidavit (in Non-Judicial Stamp Paper of Rs. 10/-) that his Son/Daughter belongs to particular Minority Community.

(7) Bank Account should be in the name of the student (Joint Bank Account With parent/Guardian is also permissible) and Proforma of Bank detail should be verified by the Concerned Bank/Branch Authority.

RATES OF FINANCIAL ASSISTANCE

Class Ist to Class VIIIth- Rs. 1000/-Per Annum

Class IXth to Class XIIth -2000/- Per Annum

HOW TO APPLY

(a) The application forms can be downloaded from the website of the Department i.e. www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

(b) Eligible students studying in school affiliated to NDMC may submit their form of Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to Dy. Education Officer (General), Deptt. Of Education, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi who is the Nodal Officer in the matter.

(c) Eligible students in Government/Govt. Aided School affiliated to Dte. Of Education may submit their forms to Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to District concerned. The Dy. Director of the District may in turn submit the consolidated proposal in the prescribed preformed as well as well as soft copy to Dy. Director (Planning), Old Patrachar Building, Timparpur, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(d) Eligible Students studying in school affiliated to Delhi Cantonment Board may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy in the Office of Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110010 who is the nodal officer in the matter.

(e) Eligible students studying in School, affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their application form to Head to School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy in the office of Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(f) Eligible students studying in Recognized Public School/National Open School and other schools approved by Government but not falling under any of the category above may submit their forms to Head to School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy along with the complete application forms along with the relevant document to Dy. Director (SC/ST/OBC/Min.), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minority, B-Block, 2nd Floor Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by **10.09.2014**

Note : The Head of School mentioned above at (b) to (f) will keep application of the students and other supporting documents such as attested copy of caste certificate, previous class mark sheet, self declaration, affidavit etc., for their record which may be checked by this Department any time.

(g) The scholarship will be awarded as per order/Notification/Circular issued by GNCT of Delhi from time to time.

OTHER CONDITIONS

Individual applications shall not be entertained. Head of School must ensure that no eligible SC/ST/OBC/MIN student is left out and consolidated list of students in the prescribed proforma should be sent to concerned office indicated above. The Nodal officer of the concerned department/organization should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed proforma which may be downloaded from the website of the department) to Dy. Director (SC/ST/OBC/MIN), B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 on or before **10.09.2014.** Application/proposals received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter the name of scheme should be clearly indicated.

DIP/0635/14-15

Format of application Form, Consolidated statement (to be filled by Head of School concerned). Self Declaration of family income and Electronic Clearing Service Performa in respect of school/student may be downloaded from the Department website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोन : 23379511-12, फैक्स: 23379513,

वेबसाइट : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, ई-मेल : ddscstdel@hub.nic.in

ध्यानार्थ :– सभी शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों/शिक्षा निदेशालय से सम्बद्ध पब्लिक स्कूल/केन्द्रीय विद्यालय(केवल दिल्ली के)/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ।

कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क लेखन सामग्री की आपूर्ति

अंतिम तिथि : 01.09.2014

पात्रता मानदंड

(1) दिल्ली के शासकीय विद्यालय/दिल्ली में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क लेखन सामग्री की आपूर्ति ।

(2) पिछले शैक्षणिक वर्ष (कक्षा 2 से 12वीं) में 70 प्रतिशत से कम उपस्थित न हो ।

(3) परिवार आय, प्रति वर्ष 2,00,000/–रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन फार्म के साथ दिए गए विनिर्धारित प्रपत्र पर (स्वयं प्रमाणित आय प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(4) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आवेदक को पिछले तीन वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए तथा उसे ईपीआईसी कार्ड, आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, जीएनसीटीडी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस तथा दिल्ली में एसडीएम द्वारा जारी निवासी प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक, जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

(5) आवेदक, विद्यार्थी या उसके पिता के नाम पर एसडीएम/उप–आयुक्त(राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र, यदि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है, की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(6) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के मामले में, अभिभावक/संरक्षक द्वारा हलफनामे के रूप में(10/–रुपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) घोषणा करनी होगी कि उसका पुत्र/पुत्री, एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।

(7) बैंक खाता, विद्यार्थी के नाम पर होना चाहिए(अभिभावक/संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाते की भी अनुमति है) और बैंक विवरण के प्रपत्र को संबंधित बैंक/शाखा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

वित्तीय सहायता की राशि

कक्षा 1 से 8वीं – 1000/–रुपए प्रति वर्ष   कक्षा 9 से 12वीं – 2000/–रुपए प्रति वर्ष

कैसे आवेदन करें :–

(क) आवेदन प्रपत्र को विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख) एनडीएमसी से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी, अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत करें, जो कि निर्धारित प्रपत्र पर समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली, जो कि मामले में नोडल अधिकारी है, को प्रस्तुत करेंगे ।

(ग) शिक्षा निदेशालय से सम्बद्ध शासकीय/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र पात्र विद्यार्थी, अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत करें, जो कि निर्धारित प्रपत्र पर समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी संबंधित जिले में प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिले के उप निदेशक, समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी उप निदेशक(योजना), पुराना पत्राचार भवन, तिमारपुर, दिल्ली, जो कि मामले में नोडल अधिकारी है, को प्रस्तुत करेंगे ।

(घ) दिल्ली छावनी बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी, अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत करें, जो कि निर्धारित प्रपत्र पर समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी, कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी, दिल्ली – 110010, जो कि मामले में नोडल अधिकारी है, को प्रस्तुत करेंगे ।

(च) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी, अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत करें, जो कि निर्धारित प्रपत्र पर समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनयू परिसर, नई दिल्ली जो कि मामले में नोडल अधिकारी है, को प्रस्तुत करेंगे ।

(छ) मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी परन्तु जो उपर्युक्त वर्णित श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत करें, जो संगत दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन फार्म सहितनिर्धारित प्रपत्र पर समेकित प्रस्ताव के साथ ही साथ सॉफ्ट कापी उप निदेशक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक),अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, द्वितीय तल, बी–ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 को तत्काल या 10–09–2014 तक प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पणी :–ऊपर (ख) से (छ) में वर्णित विद्यालय प्रमुख, अपने पास विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों, जैसे जाति प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की अंक तालिका की सत्यापित प्रति स्वयं घोषणा, हलफनामा आदि को अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखेंगे, जिसकी जांच किसी भी समय इस विभाग द्वारा की जाएगी।

(ज) छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय परजारी आदेशों/अधिसूचनाओं/परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी।

अन्य शर्तें

व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें। विद्यालय के प्रमुखों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी पात्र विद्यार्थी नहीं छूटा है तथा ऊपर वर्णित संबंधित कार्यालय को विनिर्धारित प्रपत्र पर विद्यार्थियों की समेकित सूची भेजी जाएगी। संबंधित विभाग/संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णरूपेण प्रस्ताव,(जिसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए, के साथ सॉफ्ट प्रति एवं हार्ड प्रति सहित) उप निदेशक(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक), द्वितीय तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली – 110002 को 10–09–2014 से पूर्व या तक प्रस्तुत किए जाऐगें। अंतिम तिथि के उपरांत, प्राप्त होने वाले आवेदन/प्रस्ताव सीधे निरस्त हो जाएगें। प्रेषण पत्र पर, योजना के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ।

DIP/0635/14-15

विद्यालयों/विद्यार्थियों से संबंधित आवेदन फार्म के प्रपत्र, समेकित विवरण(जिसे संबंधित विद्यालय के प्रमुख द्वारा भरा जाना है), परिवार की आय की स्वयं घोषणा तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रपत्र को विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।